

न्यायालय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय— 1 , कटिहार

C-I Case no. -934/2016

सरकार

वनाम्

झाड़ी लाल शर्मा

01-06-2026: एकमात्र अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा हाजरी देकर न्यायालय में उपस्थित हैं। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा का दोष स्वीकारोक्ति आवेदन दाखिल किया गया है। जिसकी प्रति विशेष लोक अभियोजन को प्राप्त कराया गया है।

उक्त वाद में वाद की नियत तिथि दिनांक 15.07.2026 है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वाद के नियत तिथि 15.07.2026 को रिकॉल करते हुए आज की तिथि 01.06.2026 को सुनवाई करने हेतु प्रार्थना करते हैं। तदनुसार वाद की नियत तिथि 15.07.2026 को रिकॉल करते हुए आज की तिथि 01.06.2026 को नियत किया जाता है। दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को संचालित करते हुए बचाव पक्ष का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को स्वीकार किया जाय।

दोष स्वीकारोक्ति आवेदन पर उभय पक्षकारों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 06.07.2021 को अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा के विरुद्ध मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 37(b) के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया था। आज अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना दोष स्वीकार करते हैं। अतः अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा के द्वारा दाखिल दोष स्वीकारोक्ति आवेदन को मो0 2000/—(दो हजार रुपये) जूरमाना पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जूरमाने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिनों का साधारण कारावास होगा। जूरमाने की राशि नजार्त, व्यवहार न्यायालय, कटिहार में जमा होगा।

लेखापित

Sd/-

अनन्य विशेष उत्पाद
न्यायाधीश—प्रथम

बाद में

01-06-2026: उपर्युक्त आदेशानुसार अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा की ओर से मो0 2000/—(दो हजार रुपये) जूरमाने की राशि को नजार्त रसीद संख्या 0231675 दिनांक 01.06.2026 के माध्यम दाखिल किया गया।

तदनुसार अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा को छोड़ा जाता है। अभियुक्त झाड़ी लाल शर्मा के जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों के उन्मुक्त किया जाता है। वाद को निस्पादित किया जाता है। कार्यालय, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

Sd/-

अनन्य विशेष उत्पाद
न्यायाधीश—प्रथम